फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

जयनारायण बनाम मांगीलाल वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 21/2015

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/25	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 एक ही परिवार के सदस्य है। इनकी पैतृक संयुक्त भूमि खसरा नम्बर 225 रकबा 31 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 223 रकबा 6 बिस्वा भूमि वाके रामा बीन्दरवाडा तह0 सिकराय में स्थित है। संवत 2017 में उक्त भूमि की खातेदारी झूत्या, परस्या पि0 रामदेवा हिव 2/3 मूल्या पुत्र भौरया हि0 1/3 दर्ज थी मूल्या एवं टूण्डा दोनो भाई थे इसलिए मूल्या ने अपने भाई के हक में भूमि को उसके नाम बाद में करा दिया इस बीच बिना पक्षकारों की सहमति व जानकारी के उक्त खसरा नम्बर के चार खाते कायम कर चार उप नम्बर जमाबंदी में दर्ज कर दिए जो कि क्रमश 225/2, 225/1, 225/3, 225/4 है। उक्त खसरा नम्बर 225 के वर्तमान में चार टुकडे जमाबंदी में दर्ज है किन्तु राजस्व नक्शाशीट में अभी यह खसरा नम्बर 225 एक ही दर्ज है। जबकि उक्त खसरा नम्बर में खतेदारों की सहमति से 10 फीट चौडाई ने रास्तं थी निकले हुए है तथा तरमीम के अभाव में सीीा खातेदार अपनी के समस्त लाभो से वंचित है। इसलिए खसरा नम्बर 225 रकबा 31 बीघा 9 बिस्वा वाके रामा बीन्दरवाडा के नक्शाशीट में प्रत्येक उप नंबर की उसके खातेदारों के वास्तविक कब्जे के आधार पर तरमीम की जावे साथ ही यदि बन्दोबस्त विभाग द्वारा इसकी तरमीम कर दी गई है तो उसे मुताबिक मौका कब्जा के अनुसार मय रास्ते के तरमीम दुरूस्त की जावे। इत्यादि पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी विधिवत जारी की गई। प्रकरण में तहसीलदार सिकराय से रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	

जमनाराम वगैरह बनाम मांगीलाल व0गै0

136 L.R.A. 21/2015

तहसीलदार सिकराय द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि विवादित भूमि के नवीन बन्दोबस्त पश्चात बन्दोबस्त विभाग द्वारा तरमीम कर नवीन खसरा नंबर कायम कर दिए है। तथा कायम किए गए नवीन नंबरो की तरमीम नक्शाशीट में की जा चुकी है। इसलिए प्रकरण में तरमीम की जा चुकी है। तथा प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के संबंध में दुरूस्ती चाही है लेकिन ऐसा कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से दुरूस्ती किया जाना संभव नहीं है। तथा नक्शाशीट में सैटलमेण्ट द्वारा तरमीम की जा चुकी है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा